न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 21/2021 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.--2021/326

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **मण्डाना** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

रईस पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रावंठा थाना मण्डाना,जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 8/01/2026

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **मण्डाना** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **रईस पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रावंठा थाना मण्डाना,जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोगं उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	102/2019	13 आरपीजीओ	89/ 31-5-2019	सजा
2.	26/2020	13 आरपीजीओ	26/12-7-2019	सजा

अतः **रईस पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रावंठा थाना मण्डाना,जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वंय उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से कन्हैयालाल मेरोठा अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरसायल या वकील गैरसायल की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नही किया। गैरसायल कई बार नोटिस जारी किये जाने के बाद भी अनुपस्थित है जिससे यह प्रतीत होता है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही के संबध में कोई सुनवाई नही चाहता है। वक्त बहस भी गैरसायल व वकील

अति. जिला कलक्टर
कोटा

गैरसायल अनुपस्थित रहे। अतः थानाधिकारी **मण्डाना** द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

अतः थानाधिकारी **मण्डाना** द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **मण्डाना** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 02 प्रकरण दर्ज हुए है सभी प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **रईस पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रावंठा थाना मण्डाना,जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 07 दिन के लिऐ **थाना मण्डाना** जिला कोटा की सीमा से **जिला झालावाड** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, कोतवाली झालावाड ,जिला झालावाड** को प्रस्तुत **थानाधिकारी, कोतवाली झालावाड ,जिला झालावाड** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त 07 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात **दिनांक 29/01/2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **मण्डाना** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **रईस पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रावंठा थाना मण्डाना,जिला कोटा** को दिनांक **29/01/2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **मण्डाना** जिला--कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना **कोतवाली झालावाड** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, कोतवाली झालावाड ,जिला झालावाड** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **मण्डाना** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र **मण्डाना** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगे।

निर्णय आज दिनांक 8/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला. कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कोटा (राज.)